



2026:AHC:67162

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या - 2321

वर्ष 2026

राम बाबू और एक अन्य आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सूरज सिंह चौहान, स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 72

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ल

1. आवेदकों के लिए अधिवक्ता सुना; और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन केस अपराध संख्या-272 वर्ष 2021 में आवेदकों की ओर से भन्दर्वि०, थाना-बिधानू, जिला कानपुर नगर की धारा 302, 34 के तहत दायर किया गया है, जिसमें मुकदमे के समापन तक उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक उपरोक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका करते हैं।
3. आवेदकों के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकों को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है और निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की मांग की गई है: -

i. आवेदकों को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में नामित किया गया था, हालांकि, उनके नाम 23.08.2021 को जांच से बाहर कर दिए गए थे।

ii. मुकदमे के दौरान, अ०सा०-1 का बयान दर्ज किए जाने के बाद, सूचनाकर्ता का बयान दर्ज किया गया था, 20.08.2025 को धारा 319 द०प्र०स० के तहत एक



आवेदन दायर किया गया था, जिसे अंततः 08.09.2025 को अनुमति दी गई थी।

आवेदकों को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था।

iii. समन आदेश के बारे में पता चलने पर, आवेदकों ने 14.11.2025 को इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया, जिसे सीमा की अवधि के भीतर **आपराधिक पुनरीक्षण संख्या-7834 वर्ष 2025** के रूप में गिना गया था, जिसे अंततः इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

iv. इसके बाद, 02.01.2026 को आवेदकों ने शीतकालीन अवकाश के ठीक बाद सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिसे 23.01.2026 को खारिज कर दिया गया और आवेदकों ने 21.02.2026 को इस न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत दायर की।

v. इस बीच, 08.10.2025 को जमानती वारंट जारी किए गए और फिर 28.10.2025 को गैर-जमानती वारंट जारी किए गए।

vi. अंत में, 13.11.2025 को आवेदकों के खिलाफ धारा 82 द०प्र०स० के तहत कार्यवाही शुरू की गई।

vii. आवेदकों को समन दिए जाने के संबंध में आदेश-पत्र में कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है और आवेदक फरार नहीं थे और बिना किसी अनावश्यक देरी के अपने कानूनी उपाय कर रहे थे।

viii. आवेदकों की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।

4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि धारा 82 द०प्र०स० के तहत कार्यवाही भी आवेदकों के खिलाफ की गई है और आवेदक, जो भगोड़े हैं, को इस न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है। अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों के इस दावे पर विवाद नहीं किया है कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. मैंने पक्षगण के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।



6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आशा दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2024 एस.सी.सी.

ऑनलाइन 5633 में प्रस्तर-8 में इस प्रकार टिप्पणी की है:

"अग्रिम ज़मानत पर विचार करने के लिए, धारा 82 द०प्र०स० के तहत घोषणा की स्थिति में, ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में अग्रिम ज़मानत देने के आवेदन पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

7. प्रस्तुत मामले के तथ्यों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण सीमा की अवधि के भीतर ही दायर किया गया था। इस बीच, जब आवेदक इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण पर मुकदमा चला रहे थे, तब गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। आवेदकों के दावे के अनुसार फोटो हलफनामा 26.10.2025 को किया गया था और आपराधिक पुनरीक्षण 14.11.2025 को दायर किया गया था। इस बीच, 13.11.2025 को धारा 82 द०प्र०स० के तहत कार्यवाही जारी की गई है।

8. इस न्यायालय की राय में, जिन आवेदकों ने सीमा की अवधि के भीतर समन आदेश को अच्छी तरह से चुनौती देने के लिए अपने उपाय का लाभ उठाया था, उन्हें भगोड़ा नहीं माना जा सकता है। इसलिए, अपर शासकीय अधिवक्ता की आपत्ति कि आवेदक भगोड़े होने के आधार पर आवेदन खारिज कर दिया जा सकता है, **खारिज** किया जाता है।

9. आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों के गुण-दोष पर आते हुए, प्राथमिकी में नामजद आवेदकों को जांच से बाहर कर दिया गया। प्राथमिकी आवेदकों को एक सामान्य भूमिका प्रदान करती है। आरोप पत्र केवल वीरु मिश्रा के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है। आवेदकों को प्राथमिकी में दो अन्य नामित आरोपियों यानी संध्या और रानी के साथ तलब किया गया है। सह-आरोपी वीरु मिश्रा को किशोर घोषित किया गया था और इस न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या-984 वर्ष 2023 में पारित दिनांक 10.07.2025 के आदेश के तहत ज़मानत दे दी गई थी। सह-आरोपी विभु मिश्रा की मृत्यु बताई जा रही है। यहां तक कि न्यायालय में दर्ज बयान में भी अन्य आरोपियों के साथ आवेदकों को एक सामान्य भूमिका सौंपी गई है। अदालत में दर्ज सूचनाकर्ता का बयान



इंगित करता है कि वह चश्मदीद गवाह नहीं है। आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है।

10. उपर्युक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सह-अभियुक्त को नियमित जमानत दी गई है, मैं आवेदकों को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

11. आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका की अनुमति है।

12. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदकों- राम बाबू और राघव मिश्रा @ जीतू मिश्रा की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित थाना/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा: -

- i. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वे निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होंगे जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी जाए;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे;
- iv. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;

13. किसी भी शर्त के उल्लंघन में, अभियोजन पक्ष आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां ऊपर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और मामले के गुण-दोष पर एक राय नहीं मानी जानी चाहिए।



मार्च 31, 2026

कुशल

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।